بسم الله الرحمن الرحيم

हज़रत मुहीउद्दीन अल ख़लीफ़तुल्लाह मुनीर अहमद अज़ीम (अ स)

08 November 2019 10 Rabi'ul Awwal 1441 AH

अनुवादक : फातिमा जास्मिन सलीम
EMAIL:fjasmine14@gmail.com

जुम्मा खुतुबा

विषय:-

एक उज्जवल सरकार के लिए प्रार्थना

अपने सभी चेलों सहित सभी नए चेलों, (और दुनिया भर के सभी मुसलमानों) को शांति का अभिवादन करने के बाद हज़रत ख़लीफ़तुल्लाह (अ त ब अ) तशहुद ,तौज, सूरह अल फातिहा पढ़ने के बाद और फिर उन्होंने अपना उपदेश दिया।

एक उज्जवल सरकार के लिए प्राथना

कल मॉरीशस के लोगों ने अगले पाँच वर्षों के लिए सरकार को वोट दिया। आइए हम अल्लाह (स व त) से दुआ करें, ताकि वह हमें एक नई सरकार दे, जो बेहतरीन तरीके से और मॉरीशस गणराज्य के लोगों के हित के लिए काम करेगी। आइए हम प्रार्थना करें की यह सांप्रदायिकता दूर हो जाए और हम सक्षम लोगों को सही जगह पर देखें , और हमारे देश को सही तरीके से प्रबंधित करें और इसे सही दिशा में ले जायें। अल्लाह सबसे अच्छी तरह जानता है कि किस सरकार को लोगों द्वारा वोट दिया गया है। आइए हम आशा और प्रार्थना करें कि नई सरकार अपने मंत्रिमंडल का गठन करे और योग्यता, ज्ञान और अनुभव के आधार पर लोगों को भर्ती करे और न की समर्थन और परिवार की भावना के कारण।

आज वोटों की गिनती का दिन है और मुझे लगता है कि मग़रिब की नमाज़ के बाद हम जान पाएंगे कि हमारे द्वीप, मॉरीशस पर शासन करने वाला अगला कौन होगा और अगले पाँच वर्षों के लिए अन्य द्वीपों की संरक्षकता और जिम्मेदारी मॉरीशस पर होगी। हम अल्लाह से प्रार्थना करते हैं की JUDAS जुडास (द्रोही) को हटा दे - पाखंडियों, और भ्रष्ट लोगों को, तथा अपने ही धार्मिक समुदायों के सदस्यों की रक्षा करना पसंद करते हैं और जो धर्म के नाम पर नफरत और सांप्रदायिकता को उकसाया करते है। **अल्लाह साफ़ सरकार को सक्षम करे, चुने जाने के लिए उचित ज्ञान और सम्मान के साथ, इस देश का प्रबंधन करे और मॉरीशस के लोगों के लाभ के लिए अर्थव्यवस्था का सही तरीके से निवारण करने के लिए, एक नि: स्वार्थ में, बिना भ्रष्ट हुए और सराहनीय तरीके से और इसे प्रगति की ओर ले जाए।** इंशा-अल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन, या रब्बुल आलमीन।

इस्लाम और अंतर्राष्ट्रीय कानून

किसी व्यक्ति और देश के जीवन में कानून बहुत महत्वपूर्ण हैं। कानून जो विदेश नीति से समझौता करता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून कहा जाता है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के इतिहास का अनुरेखण करते हैं, हमें पता चलता हैं कि इस संबंध में कोई कठिन और तेज़ नियम नहीं थे। यहाँ तक की रोमन कानून भी, अन्य प्राचीन प्रणालियों की तरह, मूल रूप से व्यक्तित्व के सिद्धांत को अपनाया, जिसका अर्थ है कि राज्य का कानून केवल अपने नागरिक पर लागू होता है। विदेशी स्वामिहीन था और वास्तव में, बिना किसी अधिकार, और उनके राज्य और रोम के बीच कुछ संधि जब तक संरक्षित न हो, उनकी सभी संपत्ति किसी भी समय किसी भी रोमन द्वारा जब्त की जा सकती थी ।

पश्चिमी कानून जो ज्यादातर रोमन कानून से प्राप्त हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून की कोई विशेष धारणा नहीं थी और यह इस्लाम था, जिसने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कानून को जिला अनुशासन के रूप में उत्पादित किया, जो की सियार या आचरण (शासक का) के नाम से प्रकट हुआ। मुस्लिम विचारकों ने दुनिया को इसके भीतर विभाजित किया है:

1. दार अल-इस्लाम (मुस्लिम भूमि)
2. दार अल-सुलह (संधि संबंधों की भूमि), और
3. दार अल-हरब (युद्ध की भूमि)।

मुसलमानों में एक बंधुत्व है। गैर-मुसलमानों के साथ मुसलमानों की सुलह संबंध संधियों की शर्तों के अनुसार निपटाया गया। गैर-मुसलमानों को जिनके पास इस्लाम के साथ संधि संबंध नहीं है, उनको दो पहलुओं के तहत माना जाता है: एक भू-स्थल, जो तत्परता से मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है और उन्हें अभ्यास करने और इनके ईमान पर उपदेश देने के अधिकार से वंचित करता है की वह इस्लाम के दुश्मन है, चाहे वह युद्ध में हो या नहीं; लेकिन अगर यह मुसलमानों को उनके धर्म और इबादत की स्वाधीनता की अनुमति देते है, फिर इसके खिलाफ कोई युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि यह इस्लाम का मूल सिद्धांत है कि बिना किसी कारण के युद्ध का सहारा नहीं लेना चाहिए।

अविश्वासियों के साथ भी हमें सदय और समान व्यवहार करना चाहिए, जब तक कि वे हमें और हमारे विश्वास को नष्ट करने के लिए बाहर न हों। अल्लाह (स व त) पवित्र क़ुरान में कहता है:

“अल्लाह आपको उचित तरीके से और सज्जनतापूर्ण निपटने के लिए मना नहीं करता है, उनलोगों के साथ जो आपके खिलाफ धर्म के कारण नहीं लड़े, और आपको अपने घरों से बाहर नहींनिकाला। वास्तव में, अल्लाह उससे प्यार करता है जो न्यायपरस्ता के साथ समझौता करतेहैं। " (अल-मुम्ताहनः 60: 9)

इस्लाम शांति का धर्म है और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास करता है, अतः समझौता, इक़रारनामा और पारस्परिक संविदा का सम्मान किया जाता है और उनमें से उत्पन्न होने वाले दायित्व को ईमानदारी से पूरा किया जाता हैं।

"हे तुम जो विश्वास करते हो, अपनी पारस्परिक संविदा को रखो।" (अल-मैदा 5: 2)

"वास्तव में, पारस्परिक संविदा की जाँच की जाएगी।" (अल-इसरा17: 35)

मुस्लिम अंतरराष्ट्रीय कानून और इसके उपदेश सार्वभौमिक मानव सत्य पर स्थापित हैं। इस तरह के उपदेश धर्म और नस्ल के बेमुरव्वत से पूरी मानवता पर लागू हो सकते हैं। विश्व व्यवस्था की मुस्लिम संकल्पना में, मुस्लिम राज्य द्वारा और यहां तक कि वैयक्तिक मुस्लिम द्वारा की गई प्रतिबद्धता भी

पूरे समुदाय को बांध सकती हैं। इस्लाम वैयक्तिक को इजाजत देता है, हालाँकि एक गुलाम को, एक दुश्मन और उसकी प्रतिज्ञा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्रद्धास्पद किया जायेगा।

पवित्र पैगंबर मुहम्मद (स अ व स) ने कहा है: **"मुसलमान एक हैं और उनमें से नम्र वो हैं जो उसकी प्रतिज्ञा से बांधने का हकदार है।"** अबू उबैद (र अ) ने एक बार ख़लीफ़ा उमर (र अ) को लिखा कि एक गुलाम ने प्रतिज्ञा की, कि वो ईराक के एक कस्बे के निवासियों को सुरक्षा देगा, और उससे इस मामले में उनकी राय पूछी। इसके जवाब में हज़रत उमर (र अ) ने कहा: **"अल्लाह (ईश्वर) ने वादों कि पूर्ति करने का आदेश दिया है और अगर आप उन्हें पूरा नहीं करते हैं तो आप विश्वासयोग्य नहीं हैं। इसलिए आप अपने वादों को पूरा करें जो आपने उन्हें दिए और उन्हें अकेला छोड़ दें ।"**

न्यायिकों द्वारा प्रतिज्ञा की पूर्णता के लिए महान महत्व दिया गया है, इसलिए इतनी प्रतिज्ञा पर किसी विदेशी की सुरक्षा, भले ही मुस्लिम राज्य और विदेशीयों के बीच युद्ध छिड़ जाए, वो प्रभावित नहीं होगा। राजदूत सभी उल्लंघन से प्रतिरक्षित माना जाता है और धार्मिक पंथ की स्वतंत्रता का आनंद लेता है और सभी सलामती और सुरक्षा से अपने देश में लौटता है।

इस्लाम स्वायत्त न्यायपालिका के साथ, अपने क्षेत्र में, प्रत्येक समुदाय के लिए कानूनों की बहुलता को सहन करता है। अतः एक अजनबी, खुद के इकबालिया न्यायाधिकरण क्षेत्र से संबंधित है। इसके अलावा, जो इस्लाम में निषिद्ध करने वाले कस्टम्स को सख्त रूप से अभ्यास करने की अनुमति है। मद्यसार पेय का उपभोग, उदाहरण के लिए, एक मुस्लमान के लिए निषिद्ध है। फिर भी एक गैर-मुस्लमान न केवल इसके उपभोग, लेकिन इसके निर्माण और बिक्री की स्वाधीनता से आनंद लेता है। इस तरह है इस्लाम का बरदाश्त, जो एक विश्व व्यवस्था स्थापित करने का शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित प्रयास करता है।

आइए हम सभी इस पर विचार करें, कि क्या धार्मिक कानून को देश के कानून के रूप में अपनाना संभव है। सिवाय इस्लाम के कोई भी धार्मिक कानून पूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। कोई भी धार्मिक कानून विधि-पालक और सम्मानित नहीं है जैसा की इस्लाम, लेकिन दुर्भाग्य से, आज के मुसलमानों ने इसका मजाक बना दिया है, और क्लिष्ट विचार प्रदान किया है। इस्लामी कानूनों को देश में विनियमित करना कोई एक असंभव कमाल नहीं है, लेकिन इसे बिना किसी जबरदस्ती के क्रमश में आना होगा। जब दुनिया का रुख इस्लाम की तरफ होगा, तब इस्लाम द्वारा जमीन पर शासन किया जाएगा, अन्यथा सभी लोग, मुसलमानों और गैर-मुसलमानों को समान रूप से उनके मातृभूमि के कानूनों का सम्मान करना चाहिए, जब तक वे आपको बुराई और भ्रष्टाचार के लिए आदेश नहीं देते हैं। हमारे अस्तित्व में रहते समय, भले ही हम अल्लाह का नाम लें, लेकिन यह हमारे लिए, तुरंत लोगों को आदेश देना की इस्लाम धर्म के नियमों के अनुसार कार्य करना संभव नहीं है, इस्लाम का सही तरीका किसी भी रूप में लोगों को इसे स्वीकार करने से मना करता है ।

दुर्भाग्य से आज, मुसलमान इस्लाम से बहुत दूर चले गए हैं। वे पाखंडी बन चुके हैं। यहाँ तक कि पूरा मानव समाज पृथ्वी पर सत्य और न्याय की स्थापना और ईश्वर सर्वशक्तिमान के प्रति पाखंडी हो गया है। वहाँ हर जगह राजनीति और समाज में कपटिपन है। और कपटिपन ईमानदारी को पनपने की अनुमति नहीं देता। यह अल्लाह के शब्द को मूल रूप लेने की अनुमति नहीं देता। यह मुख्य समस्या है।

आशा है अल्लाह हमें इस युग में उसके मार्गदर्शन से सभी दिलों में इस्लाम की जागृति लाने के कड़ी मेहनत करने में सक्षम करे, ताकि समाज इस्लाम कि ताज़ि हवा को सांस ले सके, आस्था के मामलों में किसी भी रूप से भ्रष्टाचार और जबरदस्ती से मुक्त। आमीन।

जो लोग अनिवार्य रूप से अल्लाह के छोड़े जाने पर विश्वास करते हैं, और जो लोग अल्लाह के संदेश से अपनी पीठ को मोड़ लेते हैं, इसलिए अल्लाह न्यायाधीश के जैसे तृप्त होता है और उनके ईमान के मामलों में गवाह है।

“वल्लजीइ ‘इंजील ‘इले-का मिर-रब्बिकल-हक़्क़ू व ला-किन ‘अक-सरन-नासि ला यु’-मिनून.”

और जो तुम्हारे अल्लाह से तुम पर प्रकट हुआ है वह सत्य है, लेकिन अधिकांश मानव जाति नहीं मानती।(अर-राद 13: 2)